भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1862

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड**

**+1862. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्टीय न्यायिक डाटा ग्रिड के आकंड़ों के अनुसार देश की जिला व अधीनस्थ अदालतों में कुल 2,75,07,972 मामले लंबित हो और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; (ख) क्या अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के कारण आम आदमी न्याय से वंचित हो रहा है, यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** राष्‍ट्रीय न्‍यायिक आंकडा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्‍ध सूचना/आकडों के अनुसार देश के विभिन्‍न जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में 2,92,58,826 मामलें लम्‍बित है। देश के विभिन्न न्‍यायालयों में मामलों का लंबित होना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्‍य बातों के साथ, न्‍यायाधीशों की पर्याप्‍त संख्‍या, सहायक न्‍यायालय कर्मचारिवृन्‍द और भौतिक अवसंरचना की उपलब्‍धता, अंतर्वलित तथ्‍यों की जटिलता, साक्ष्‍य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् बार, अनुसंधान अभिकरण, साक्षी मुवक्‍किल का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित उपयोजन, सम्‍मिलित है। संबंधित न्‍यायालयों के द्वारा विभिन्‍न मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है।

**(ख) और (ग) :** संवैधानिक ढांचे के अनुसार, अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों का चयन और नियुक्‍ति संबंधित राज्‍य सरकारों और उच्‍च न्‍यायालय का दायित्‍व है । जहां तक कि राज्‍यों में न्‍यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध है, कतिपय राज्‍यों में संबंधित उच्‍च न्‍यायालयों द्वारा किया जाता है, जबकि अन्‍य राज्‍यों में उच्‍च न्‍यायालय इसे राज्‍य लोक सेवा आयोगों से परामर्श करते है ।

उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में रिक्‍तियों का भरा जाना, कार्यपालिका और न्‍यायापालिका के मध्‍य सतत् और सहयोगकारी प्रक्रिया है । यह विभिन्‍न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित करती है । उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायामूर्तियों की नियुक्‍ति के लिए प्रस्‍ताव का प्रारंभ, भारत के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति में निहित है, जबकि उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायमूर्ति की नियुक्‍ति के लिए प्रस्‍ताव का प्रारंभ संबंधित उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति में निहित है । जबकि विद्यमान रिक्‍तियों को त्‍वरित रूप से भरने के लिए प्रत्‍येक प्रयास किया जा रहा है, उच्‍च न्‍यायालयों में रिक्‍तियां, सेवानिवृत, पदत्‍याग या न्‍यायमूर्तियों के उन्‍नयन (उच्‍चतम न्‍यायालयों) में और न्‍यायाधीशों की संख्‍या में वृद्धि के कारण भी उत्‍पन्‍न होती रहती है ।

01.01.2014 से 26.12.2018 तक, उच्‍चतम न्‍यायालय में 27 न्‍यायमूर्ति नियुक्‍त किए गए थे; उच्‍च न्‍यायालयों में 446 नए न्‍यायमूर्ति नियुक्‍त किए गए थे और 379 अतिरिक्‍त न्यायमूर्तियों को स्‍थायी किया गया था । उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायमूर्तियों की स्‍वीकृत पद संख्‍या जो मई, 2014 में 906 थी, को बढ़ाकर वर्तमान में 1079 किया गया है । जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों की स्‍वीकृत और कार्यरत पद संख्‍या निम्‍न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| तारीख को | स्‍वीकृत पदसंख्‍या | कार्यरत पदसंख्‍या |
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 30.09.2018 | 22,644 | 17,509 |

विधि और न्‍याय मंत्री ने तारीख 14 अगस्‍त, 2018 के पत्र द्वारा उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायमूर्तियों और राज्‍यों के मुख्‍य मंत्रियों को जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में रिक्‍तियों की स्थिति को नियमित रुप से मानीटर करने और राज्‍य लोक सेवा आयोग के साथ उचित समन्‍वय सुनिश्‍चित करने के लिए लिखा है ताकि उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा मलिक मजहर सुल्‍तान मामले में विहित समय सारणी के अनुसार परीक्षा और साक्षात्‍कार संचालित किए जाएं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*